न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –32/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
नारायणसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील मेड़ता जिला नागौर		सरकार जरिये नायब तहसीलदार, मेडता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राज वकील श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 10-5-18

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार, मेडता द्वारा मुकदमा नम्बर 13/2017 सरकार बनाम नारायणसिंह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.02.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का नेतडिया ने नायब तहसीलदार मेडता के समक्ष रिपोर्ट की कि संवत् 2074 में ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 0.2 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है। जिसका अपीलांट को नोटिस मिलने पर अपीलांट ने तामिल होने पर वादग्रस्त भूमि पर मौखिक रूप से अतिक्रमण नहीं होना बताया। अपीलांट के मौखिक जवाब के अनुसार पटवारी हल्का नेतडिया से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव बयान दिनांक 25.01.2018 के मुताबिक अपीलांट ने जो पश्चात्वृति अतिक्रमण किया वह अभी भी कायम है, गैर सायल द्वारा संवत् 2073 में भी अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है गैर सायल द्वारा उक्त राजकीय भूमि पर संवत् 2073 में भी अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा कर अतिचार किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई न्यायिक माइंट अप्लाई किये दुबारा अतिक्रमण किया जाना पश्चात्वृति अतिक्रमण की श्रेणी में आना मानकर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दिया व वार्षिक लगान की दर से 0.16 के 50 गुणा से रूपये 8/– जुर्माना अधिरोपित किया और अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित किया जाकर एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई। जिससे व्यथित होकर अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है।

कलक्टर, नागौर

मौजा श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने गलती की है। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का पूर्व अदावती व अपीलांट के खिलाफ पार्टी के लोगो के सिखाने से अतिक्रमण की झुठी व असत्य रिपोर्ट पेश की है तथा झुठी रिपोर्ट करवाई जाकर जैल की सजा दिलाई जाने का असफल प्रयास किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट अथवा वादग्रस्त खसरा भूमि के पडौसियों के कथन लिये बिना ही अतिक्रमण होना मान लिया है। अदालत मातहत के समक्ष ऐसी कोई मानने योग्य साक्ष्य नहीं थी जिसके आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा अथवा अतिक्रमण माना जावें अथवा पश्चात्वृति अतिक्रमण माना जावें। इस कारण निर्णय जैर अपील तथ्यों के विपरीत होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट के जवाब के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने कोई जांच नहीं की न नाप चोप करवाया न किसी पडौसी अथवा गांव के लोगों से व रिकॉर्ड से भी जांच की, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को सही मान लिया गया। पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मांगी गयी तथ्यात्मक रिपोर्ट में मात्र यह लिखा है कि "पूर्ववत कब्जा बरकरार है" जबकि इन्होने किसी तरह का कोई नाप चोप नहीं किया और न ही कब्जा किस नेचर का है व कितने रकबे पर है? ऐसा कुछ भी जांच रिपोर्ट में नहीं बताया है मात्र पूर्व का कब्जा बरकरार दर्ज कर देना ही पर्याप्त नहीं है। इस मौका की जांच रिपोर्ट का कोई भौतिक नक्शा रिपोर्ट के साथ पेश नहीं किया गया। जिससे पटवारी की जांच रिपोर्ट जो स्वंय में संदिग्ध है तथा किसी भी मौतबिरान के सामने उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई हो ऐसे किसी मौतबिर के हस्ताक्षर भी नहीं है। ऐसी सुरत में बिना जांच किये, बेदखली व सजा जैसा कठोर आदेश देना न्यायोचित नहीं है। केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर बेदखली नहीं की जा सकती है। इस तथ्य पर व कानूनी प्रावधान पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण ऐसा है जिसमें तथ्यों की जांच करके विवेचात्मक निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। क्योंकि पटवारी ने जो अरोप लगाये है वे असत्य है। अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है और न ही अपीलांट ने बाड ही की है। पटवारी ने फसल के जरिये कब्जा बाड करके किया होना असत्य लिखा है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है।

पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। जिसके आधार पर यह माना जावे कि अपीलांट का मौके पर रास्ता की भूमि पर कोई कब्जा अथवा बाड है तथा उसका नाप चौप क्या है, बाड नई है या पुरानी है आदि का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी सुरत में अपीलांट के विरूद्ध बेदखली व जुर्माना एंव सिविल कारावास का निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की गई है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त लायक है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त लायक है।

अधिनस्थ न्यायालय के रेकॉर्ड पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलांट को पूर्व में बेदखल किया हो और उनका पश्चातवृति अतिक्रमण हो तथा पटवारी हल्का के बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि अमूक मुकदमें में अपीलांट को पूर्व में बेदखल किया गया था तथा न ही निर्णय जैर अपील में अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में मुकदमा दर्ज होकर बेदखली के आदेश होने का कोई हवाला है न मुकदमा नम्बर दर्ज है

कलक्टर, नागौर

न पूर्व के निर्णय की कोई तारीख अंकित है तथा न ही पटवारी की मौखिक साक्ष्य में अपीलांट को बेदखल करने के साक्ष्य के दस्तावेजात को ही अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रदर्शित कर साबित करवाया गया है। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कथन करने वाले व्यक्ति/ पटवारी द्वारा अपने कथनों में कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित किये बिना उस दस्तावेज को व उसकी अर्न्तवस्तु को साक्ष्य में साबित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे साक्ष्य के रूप में पढा जा सकता है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं थी जिससे यह साबित माना जावे कि अपीलांट ने पश्चात्वृति अतिक्रमण किया है जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मांइड अप्लाई किये बिना व बिना किसी पर्याप्त आधार के सिविल कारावास का निर्णय पारित किया है जो कानूनी रूप से अवैध है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने लायक है। अपीलांट के खेत का रास्ता ही वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन भूमि पर से होकर ही खेत में आवागमन होता है। इस मार्गाधिकार के उपयोग को ही पटवारी हल्का ने अतिक्रमण होना तथ्य की भूल से कहा है। अपीलांट का अतिक्रमण बताकर पटवारी ने मिथ्या रिपोर्ट पेश की है। जिस मिथ्या रिपोर्ट के संबध में नायब तहसीलदार ने अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना उसे सही मानकर अपीलांट को सजा से दण्डित करने का निर्णय करने में विधिक त्रुटि करने का कथन करते हुऐ अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2014–15(Supp.)पेज–728, आर.आर.डी. 1977 पेज–591, आर.आर.डी. सितम्बर.2001 पेज–401 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 27.12.17 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की 0.02 हैक्टयर भूमि पर बाड़कर नाजायज कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिकमण करने के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर उक्त रिपोर्ट के आधार प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो उचित होने से अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का नेतड़िया व भू अभिलेख निरीक्षक मेड़ता की रिपोर्ट दिनांक 27.12.17 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 किस्म गैर मुमकिन रास्ता की 0.02 हैक्टयर भूमि पर बाड़कर नाजायज कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिकमण करने के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार मेड़ता को प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने दिनांक 10.1.18 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमीन का नाप करने का निवेदन करने पर पटवारी हल्का नेतड़िया को अतिकमण के संबंध में पुनः नाप कर नाप रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये, जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.01.18 नायब तहसीलदार मेड़ता को

प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट में अपीलान्ट का बाड़ करके कब्जा किया हुआ होना बताया गया। पटवारी हल्का नेतड़िया श्री चेनाराम के बयानों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार मेड़ता कोर्ट के आदेश कमांक–राजस्व/17/1052 दिनांक 8.9.17 की पालना में दिनांक 10.11.17 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया। ततपश्चात अतिक्रमी नारायणसिंह द्वारा बेदखल की गई आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया जाना बताया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बेदखली दिनांक 10.11.17 द्वारा पटवारी नेतड़िया के अनुसार ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 42 गै.मु. रास्ता पर किये गये अतिक्रमण से अपीलान्ट को रूबरू मौतबिरान भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट को हस्तगत प्रकरण में सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुऐ विधिवत निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर